


# फर्ट अहकॉम

( नियम 26 )

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी (4) बनाम (1) वाद्या पुड गीना कोल (5)  
 लालि जाट नि नेहरी का वादा (6) तहवीलवार गुडामालानी

किस्म मुकदमा राजस्व आप्रेशन अधि. मुकदमा नम्बर 151 / 22

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.8.22	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री <u>हरिश चोंधरी</u> ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा <u>212</u> राजस्थान काशतकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26.9.22</u> को पेश हो।	
27/9/2022	पत्रावली आज पेक्षा हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के नोटिस डाक द्वारा भेजना स्वीकार करने हेतु अवसर चाहते हैं अवसर दिया जाता है। आइन्दा पत्रावली दिनांक <u>15/11/2022</u> को पेक्षा हो।	
15/11/22	पत्रावली आज पेक्षा हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन रजिस्ट्रार डाक द्वारा भेजने का एक केंद्र का काम चाहते हैं। केंद्र का काम चलने है। केंद्र का काम चलने है। पत्रावली दिनांक <u>13/12/22</u> को पेक्षा हो।	
13/12/23	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर है। अतः इत्तया होकर पत्रावली आइन्दा <u>13/12/23</u> को पेश हो।	सहायक कलक्टर, गुडामालानी 

# फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी  
मुकाम-गुड़ामालानी

नामगा

बनाम

वाला

संख्या

2022/249

किस्म मुकदमा

151/2022

हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी  
हुए/पावती

3/7/25

पत्रावली आज पैदा हुई वकील प्रथम  
दफा मूल वाद स्वीकार होकर  
से हस्तगत आवेदन पत्र का  
कोर्ड ऑरिजिनल नहीं रह जाने  
से हस्तगत प्रकरण की निस्तारि  
किया जाकर खारिज किया जाता  
है। पत्रावली के साथ सुमार होकर  
डाखिल इफ्तार होकर